

नविवारक नरिध

प्रलिमिस् के लयि:

[सरवोच्च नयायालय, नविवारक नरिध, अनुच्छेद 22, उच्च नयायालय के नयायाधीश, दंडातमक हरिसत, 'सार्वजनिक व्यवस्था', कानून और व्यवस्था, राम मनोहर लोहिया बनाम बहिर राजय मामले, 1965](#)

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्त्व ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में [सरवोच्च नयायालय](#) ने माना है कि नविवारक नरिध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्डों को सरकार के लयि केवल "रबर-स्टाम्पिंग प्राधिकारी" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहयि ।

- उन्हें एक ऐसे सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना चाहयि जो राज्य द्वारा शक्ति के अनयितरति उपयोग के साथ ही व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के बीच खड़ा हो ।

नविवारक नरिध क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- नविवारक नरिध को अधिकृत करने वाले कानून वर्ष 1818 से भारत में बरटिश औपनिवेशिक शासन में अस्तित्व में थे ।
- [प्रथम विश्व युद्ध](#) शुरू होने पर वर्ष 1915 का भारत रक्षा अधिनियम पारति कयिा गया था, और साथ ही [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के दौरान बनाए गए आपातकालीन नयिमों के संबंध में भी इसे दोहराया गया था ।
 - दोनों में नविवारक नरिध के प्रावधान हैं, यानी कसिी व्यक्तिको [वचिरण और दोषसदिधि](#) के बना हरिसत में रखना ।

■ परचिय:

- [नविवारक नरिध](#) का अर्थ है कसिी व्यक्तिको नयायालय द्वारा वचिरण एवं दोषसदिधिके बना हरिसत में लेना । इसका उद्देश्य कसिी व्यक्तिको [पूर्व अपराध के लयि दंडति करना नहीं](#) है बल्कि उसे निकट भवषिय में अपराध करने से रोकना है ।
- कसिी व्यक्तिकी [हरिसत तीन महीने से अधिक नहीं](#) हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड वसितारति हरिसत हेतु पर्याप्त कारण के लयि रिपोर्ट जारी नहीं करता है ।
- [नविवारक नरिध के लयि आधार:](#)
 - राज्य की सुरक्षा
 - लोक व्यवस्था
 - वदिशी मामले, आदि ।

■ हरिसत के दो प्रकार:

- [नविवारक नरिध](#) तब होता है जब कसिी व्यक्तिको केवल इस संदेह के आधार पर [पुलसि हरिसत](#) में रखा जाता है कयिे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हाना पहुँचा सकते हैं ।
 - पुलसि के पास कसिी भी व्यक्तिको पर अपराध करने का संदेह होने पर उसे हरिसत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजसिट्रेट की अनुमतिके बना गरिफ्तारी करने का भी अधिकार है ।
- [दंडातमक हरिसत](#) जसिका अर्थ है कसिी दाण्डिक अपराध के लयि सजा के रूप में हरिसत में रखना । यह तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में कयिा गया हो, या उस अपराध को करने का प्रयास कयिा गया हो ।

■ सुरक्षा:

- [अनुच्छेद 22](#) गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है ।
 - दो प्रकार के हरिसत - पहला भाग सामान्य [कानूनी मामलों](#) से संबंधति है और दूसरा भाग [नविवारक नरिध के मामलों](#) से संबंधति

है।

- यह अनुच्छेद नविवारक नरिध कानूनों के लयि सलाहकार बोरड के नरिमाण को अनविवार्य करता है, जसिमें **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** बनने के लयि योग्य व्यक्त शिामलि होते हैं।
- वभिनिन कानूनों के तहत, समीक्षा बोरडों को **प्रत्येक तीन माह** में हरिसत के आदेशों का आकलन करना चाहयि, ताकयिह नरिधारति कयिा जा सके कनिविवारक नरिध के लयि पर्याप्त कारण हैं या नहीं। वे साकष्यों की जाँच करते हैं, यदआवश्यक हो तो अधिक जानकारी का अनुरोध करते हैं, हरिसत में लयि गए व्यक्त की बात सुनते हैं और फरि रपिरट करते हैं कहरिसत उचति थी या नहीं।
- **हरिसत में लयि गए व्यक्त को उपलब्ध सुरक्षा उपाय:**
 - कसी व्यक्त को केवल **3 माह** के लयि **नविवारक हरिसत** में लयिा जा सकता है।
 - **सलाहकार बोरड** की स्वीकृति के बाद ही हरिसत की अवधि को **3 माह** से अधिक के लयि बढ़ाया जा सकता है।
 - बंदी को अपनी हरिसत के **कारणों को जानने का अधिकार** है।
 - हालाँकि, यदलोकहति में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से **इनकार** कर सकता है।
 - बंदी को उसकी हरिसत को **चुनौती** देने का अवसर प्रदान कयिा जाता है।
- **सापेक्ष नविवारक कानून:**
 - **लोकसुरक्षा अधनियम (PSA)**।
 - **स्वापक औषध और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियम (NDPS), 1985**।
 - **राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम: NCRB** डेटा से पता चला है क **राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम (NSA)** के तहत हरिसत में लयि गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफी कम हो गई है।
 - **NSA** के तहत नविवारक हरिसत की संख्या वर्ष **2020** में **741** पर पहुँच गई। जबकवर्ष **2021** में यह संख्या घटकर **483** हो गई।
- **नविवारक हरिसत से संबंधति मुद्दे:**
 - **लोकतंत्र पर प्रश्नचहिन:** वशिव के कसी भी लोकतांत्रिक देश ने नविवारक हरिसत को संवधान का अभनिन अंग नहीं बनाया है जसा क भारत में कयिा गया है।
 - **अतरिकित न्यायकि प्राधकिरण:** सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयोग अतरिकित न्यायकि अधिकार का प्रयोग करने के लयि करती हैं, जसिसे नविवारक हरिसत को लेकर चतिाएँ बढ़ जाती हैं।
 - **अन्य अधनियमों का दुरुपयोग: गैर-कानूनी गतविधियिँ (रोकथाम) अधनियम, 1967** जैसे कई कानून हैं जनिका दुरुपयोग नविवारक हरिसत के लयि कयिे जाने की संभावना है।
 - **सरकारी अधिकारियिँ द्वारा हेरफेर:** ज़लिा मजसि्ट्रेट तथा पुलसि भी अकसर उभरती सांप्रदायकि झड़पों या कनिही दो समुदायों के बीच हुई झड़पों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लयि संबंधति व्यक्तियिँ को नयितरति करने के लयि उन्हें नविवारक हरिसत में लेते हैं, भले ही इससे हमेशा सार्वजनकि अव्यवस्था न हुई हो।

नविवारक नरिध पर सर्वोच्च न्यायालय:

- **अमीना बेगम केस, 2023:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना क नविवारक हरिसत **आपातकालीन स्थतियिँ के लयि एक असाधारण उपाय** है और इसे नयिमति रूप से इस्तेमाल नहीं कयिा जाना चाहयि।
 - नविवारक हरिसत का उद्देश्य सज़ा देना नहीं है बलक **राज्य की सुरक्षा के लयि हानकिारक कसी भी चीज़ को रोकना** है।
- **अंकुल चंद्र प्रधान केस, 1997:** इस मामले में इस बात पर बल दयिा गया कनिविवारक हरिसत का उद्देश्य सज़ा देने के बजाय **राज्य की सुरक्षा को नुकसान से बचाना** है।

सार्वजनकि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था क्या है?

- **परचिय:**
 - **सार्वजनकि व्यवस्था** का तात्पर्य समाज के भीतर शांति, स्थरिता और सद्भाव बनाए रखना है, यह सुनश्चिति करना क गतविधियिँ और व्यवहार समुदाय की समग्र कल्याण या सुरक्षा को बाधति न करें।
 - **सार्वजनकि व्यवस्था भी स्वतंत्र भाषण और अन्य मौलकि अधिकारों को प्रतबिंधति करने का एक आधार है।**
- **सार्वजनकि व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति:**
 - **सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटि 9** के तहत, भारत का संवधान संसद को भारत की रक्षा, वदिशी मामलों या सुरक्षा से जुड़े कारणों के लयि नविवारक हरिसत के लयि कानून बनाने की **वशिष शक्ति** प्रदान करता है।
 - **सूची III (समवर्ती सूची) की प्रवषिटि 3** के तहत, संसद और राज्य वधिानमंडल दोनों के पास **सार्वजनकि व्यवस्था** के रखरखाव या समुदाय के लयि आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं के रखरखाव से संबंधति कारणों से ऐसे कानून बनाने की शक्तियिँ हैं।
 - संवधान की **सातवीं अनुसूची** की **राज्य सूची (सूची 2)** के अनुसार, सार्वजनकि व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है।
- **सार्वजनकि व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था के बीच अंतर:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **'सार्वजनकि व्यवस्था'** और **'कानून और व्यवस्था'** के बीच अंतर कयिा।
 - **राम मनोहर लोहयिा बनाम बहिर राज्य मामले, 1965** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना क **'कानून और व्यवस्था'** की समस्या केवल कुछ व्यक्तियिँ को प्रभावति करती है, लेकनि **सार्वजनकि व्यवस्था** के मुद्दे ने समुदाय या जनता को बड़े पैमाने पर या यहाँ तक क देश को

भी प्रभावित किया है।

- 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर उनके दायरे की डगिरी एवं सीमा में नहित है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने" की अभिव्यक्तियों के अंतर्गत लाने के लिये गतिविधियाँ ऐसी प्रकृत की होनी चाहिये कि सामान्य कानून उनसे निपट न सकें या समाज को प्रभावित करने वाली वधिवंसक गतिविधियों को रोक न सकें।

आगे की राह

- **संवधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC):** नविवारक नरिध प्रावधानों की समीक्षा के बाद वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दो सफिरारशें दी गईं:
 - अनुच्छेद 22 के तहत हरिसत की अधकितम अवधछिह महीने होनी चाहिये।
 - सलाहकार बोर्ड की संरचना में एक अधयकष और दो अन्य सदस्य शामिल होने चाहिये जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश हों।
- **सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टकिण:** जुलाई, 2022 में, तेलंगाना में एक चेन-सनैचर के लिये जारी नविवारक नरिध आदेश को रद्द करते हुए, यह देखा गया कि राज्य को दी गई ये शक्तियाँ "असाधारण" थीं और चूँकि वे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिये उनका उपयोग कम-से-कम किया जाना चाहिये।
 - न्यायालय ने यह भी कहा था कि इन शक्तियों का उपयोग सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं को नयितरति करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

Drishti Mains Question

प्रश्न. सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में नविवारक नरिध तथा इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये।

वधिकि अंतरदृष्टि: [नविवारक नरिध की वैधता](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/preventive-detention-5>

